न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 18/112

इकबाल आत्मज भंवर जाति लुहार मुसलमान निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
----अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विशाल सनाड्य, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 08.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 04.08.2017 को अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी जिसके विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2018 को स्वीकार किया गया व पत्रावली में पुनः सुनवाई की गई ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार, नैनवा जिला – बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम नैनवा प्रथम की आराजी खसरा नं. 4456 रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा गै0मु0 बर्डा में से 30 बीघा भूमि राजकीय कार्यालय भवनों के लिए आरक्षित है जिसमें से 30 X 60 वर्गभुट के भू–भाग पर पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 30.09.2014 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील

प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.03.2017 के द्वारा अपील अपीलांट खारिज करने का आदेश पारित किया ।

4. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट ने तावान शुल्क राशि भी जमा करवा दी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त प्रकरण को निर्णित कर दिया जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । उक्त आराजी का नियमन नगर पालिका नैनवा ने किया है । नगरपालिका नैनवा ने नियमन की राशि जमा की है और अपीलान्ट के पक्ष में पट्टा जारी किया है । प्रार्थी अपीलान्ट उक्त मकान का वैध स्वामी एवं कब्जाधारी है । कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि लीज को केन्सिल किये बिना बेदखल नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी जिरह में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि उक्त आराजी का नियमन नगर पालिका नैनवा ने किया है । नगरपालिका नैनवा ने नियमन की राशि जमा की है और अपीलान्ट के पक्ष में पट्टा जारी किया है । प्रार्थी अपीलान्ट उक्त मकान का वैध स्वामी एवं कब्जाधारी है । कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि लीज को केन्सिल किये बिना बेदखल नहीं किया जा सकता – परन्तु अपीलान्ट ने जो पट्टे की फोटो प्रति पेश की है उसमें खसरा नम्बर अंकित नहीं है जिससे यह साबित नहीं होता है कि जिस आराजी बाबत्

अपीलान्ट को अतिक्रमी माना गया है वही भूमि उसे नगरपालिका द्वारा आवंटित या नियमन की गई है । उक्त भूमि वर्तमान में राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

9. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2017 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/10/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा